345
2/7

उत्तराखण्ड शासन
शिक्षा अनुभाग–1(बेसिक)
संख्या–888 /XXIV(1)/2014-45/2008 T.C.-III
देहरादूनः दिनांकः 18 जुलाई, 2014

JA-II

AAE
2/7

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा–2 के उपधारा (ज) के अन्तर्गत स्थानीय प्राधिकारी हेतु निर्धारित कर्तव्य विषयक अधिसूचना सँ0–844/XXIV(1)/2014-45/2008 T.C.III दिनांक 16 जुलाई, 2014 द्वारा अधिसूचित कर दी गयी है। उक्त अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1– निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री रूड़की (हरिद्वार) को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अधिसूचना को असाधारण गजट में मुद्रित कराकर इसकी 300 प्रतियां शिक्षा–1 को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2– निदेशक, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
3– अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5– प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
6– प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
7– प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
8– महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड नैनीताल।
9– स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
10– मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमायूँ मण्डल।
11– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
12– समस्त मेयर, नगर निगम/जिला पंचायत अध्यक्ष उत्तराखण्ड।
13– निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, ननूरखेड़ा, देहरादून।
14– अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल।
15– अधिशासी निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।

संलग्नकः–यथोक्त।

आज्ञा से,
(आर0के0 तोमर)
संयुक्त सचिव।

शिक्षा अनुभाग–1(बेसिक)
संख्या–844/XXIV(1)/2014-45/2008-T.C-III
देहरादूनः दिनांक 16 जुलाई,2014

अधिसूचना

विषयः– शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 9 के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु स्थानीय प्राधिकारी की पहचान।

1. निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 2 के उपधारा (ज) के अन्तर्गत स्थानीय प्राधिकारी को निम्नवत परिभाषित किया गया है। जिसके अनुसार **"स्थानीय प्राधिकारी"** से नगर परिषद् अथवा जिला परिषद् अथवा नगर पंचायत अथवा पंचायत, अथवा जिस किसी भी अन्य नाम से इस प्रकार के प्राधिकारी को जाना जाता हो अथवा जिनका विद्यालय पर प्रशासनिक नियंत्रण हो अथवा किसी नियम के अन्तर्गत किसी अवधि हेतु शहर, कस्बा अथवा गाँव में स्थानीय प्राधिकारी के रूप में कार्य कर रही हो अभिप्रेत है।
2. सम्बन्धित अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत स्थानीय प्राधिकारी हेतु निम्न कर्त्तव्य सुनिश्चित किये गये हैं।

– प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी सुनिश्चित करेगा कि –

(क) प्रत्येक बच्चे को उस विद्यालय में जहाँ उसके माता–पिता, अभिभावक या जैसी भी स्थिति हो, ने उसका नामांकन कराया है, निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त हो। लेकिन राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित, उसके स्वामित्व या नियंत्रित विद्यालयों या प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रुप से वित्तीय सहायता प्राप्त विद्यालयों या इस प्रकार के अन्य विद्यालयों में प्रवेशित बच्चों हेतु उनके माता–पिता, अभिभावक या जैसी स्थिति हो, प्रारम्भिक शिक्षा पर खर्च हुई धनराशि हेतु प्रतिपूर्ति के पात्र नहीं होंगे।

(ख) स्थानीय प्राधिकारी शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत निकटस्थ (पड़ोसी) विद्यालय की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा।

(ग) स्थानीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि कमजोर वर्ग एवं अपवंचित समूह का कोई बच्चा अपनी प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने तक किसी भी प्रकार के भेद–भाव का शिकार न हो।

(घ) स्थानीय प्राधिकारी अपने सेवित क्षेत्र के 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के अभिलेख जैसा कि अधिनियम में उल्लिखित है, के अनुसार संधारित रखेंगे।

(ङ) स्थानीय प्राधिकारी अपने सेवित क्षेत्र के 6–14 वय वर्ग के सभी बच्चों के प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करने तक उनके विद्यालय में नामांकन, उपस्थिति, ठहराव आदि का अनुश्रवण सुनिश्चित करेगा।

(च) स्थानीय प्राधिकारी अपने सेवित क्षेत्र के विद्यालयों में सभी आवश्यक संसाधन जैसे भवन, अध्यापक, तथा पाठ्य सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा।

(छ) स्थानीय प्राधिकारी अपने सेवित क्षेत्र के विद्यालयों में विशिष्ट प्रशिक्षण की व्यवस्था /उपलब्धता सुनिश्चित करेगा।

(ज) स्थानीय प्राधिकारी अपने सेवित क्षेत्र के विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण प्रारम्भिक शिक्षा जो, अधिनियम की अनुसूची में उल्लेखित मानदण्डों के अनुरुप हो की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

(झ) स्थानीय प्राधिकारी अपने सेवित क्षेत्र के विद्यालयों में प्रारम्भिक शिक्षा हेतु समयान्तर्गत पाठ्चर्या को पूर्ण तथा मुद्रित करने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

(ञ) स्थानीय प्राधिकारी अपने सेवित क्षेत्र के विद्यालयों में अध्यापक प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

(ट) स्थानीय प्राधिकारी अपने सेवित क्षेत्र के विद्यालयों में प्रवासी परिवारों के बच्चों के प्रवेश की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

(ठ) स्थानीय प्राधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र के विद्यालयों के कार्यों का अनुश्रवण करेंगे।

(ड) स्थानीय प्राधिकारी अपने सेवित क्षेत्र के विद्यालयों में अकादमिक पंचाग की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

3. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के उपर्युक्त धारा 9 के अन्तर्गत स्थानीय प्राधिकारी हेतु कर्तव्यों का 'स्थानीय प्राधिकारी /स्थानीय निकाय वार' उनके निर्धारण संलग्न तालिका के अनुसार करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(एस.राजू)
प्रमुख सचिव।

d- ^uxjh; LFkkuh; fudk; ¼ikf/kdkjh½** से नगर निगम, नगर पालिका परिषद्,, नगर पंचायत तथा छावनी परिषद् अभिप्रेत है।
[k- ^xkeh.k LFkkuh; fudk; ¼ikf/kdkjh½** से जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा ग्राम पंचायत अभिप्रेत है।

Ø0 l0	vf/kfu;e ,o fu;e	f'k{kk dk vf/kdkj vf/kfu;e dh /kkjk ¼9½ d iko/kku	f'k{kk dk vf/kdkj vf/kfu;e dh /kkjk 9 d vUrxr fofHkUu Lrjk ij viu {k=kf/kdkj d vUrxr LFkkuh; fudk;k ¼ikf/kdkjh½ grq fu/kkfjr drO;		
			Tkuin Lrj% 1. जिला पंचायत 2. नगर निगम 3. नगर पालिका परिषद (जिला मुख्यालय स्थित)	rglhy@Cykd Lrj% 1. क्षेत्र पंचायत 2. नगर पालिका परिषद् (जिला मुख्यालय के अतिरिक्त) 3. छावनी परिषद्	xke ipk;r ,o okM Lrj% 1. ग्राम पंचायत 2. नगर पंचायत 3. नगर निगम वार्ड, नगर पालिका वार्ड एवं छावनी परिषद् वार्ड
1	2	3	4	5	6
1-	9(क)	प्रत्येक बच्चे को उस विद्यालय में जहाँ उसके माता–पिता, अभिभावक या जैसी भी स्थिति हो, ने उसका नामांकन कराया है, निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त हो। लेकिन राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित, उसके स्वामित्व या नियंत्रित विद्यालयों या प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रुप से वित्तीय सहायता प्राप्त विद्यालयों या इस प्रकार के अन्य विद्यालयों में प्रवेशित बच्चों हेतु उनके माता–पिता, अभिभावक	• सभी बच्चे विशेषकर निःशक्त, कमजोर वर्ग व अपवंचित समूह के बच्चे तथा बालिकाओं की शिक्षा का समय–समय पर पर्यवेक्षण करना। • शिक्षा का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण करना।	• सभी बच्चे विशेषकर निःशक्त, कमजोर वर्ग व अपवंचित समूह के बच्चे तथा बालिकाओं की शिक्षा का समय–समय पर पर्यवेक्षण करना। • शिक्षा का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण करना।	• सभी विद्यालयों की सूची तैयार करना तथा उनमें 6–14 वय वर्ग के बच्चों को प्रवेशित कराना। • 6–14 वय वर्ग के सभी बच्चों की सूची तैयार कर अभिलेख संधारित रखना एवं ऐसा तंत्र विकसित करना जिससे कि वर्षभर गांव/क्षेत्र/वार्ड में बाहर से आ रहे प्रवासी बच्चों एवं गांव/क्षेत्र/वार्ड से बाहर जा रहे बच्चों की संख्या का पता चल सके। • यह सुनिश्चित करना कि सभी बच्चे विद्यालय में प्रवेशित हों। • यदि कोई बच्चा विद्यालय में प्रवेश पाने से वंचित रह गया है तो उसके अभिभावकों से बातचीत कर उसका नामांकन विद्यालय में कराना। • वे बच्चे, जो अधिनियम की धारा 12(1)(C) के तहत निजी असहायता प्राप्त विद्यालयों में 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों में प्रवेश के लिए अर्ह हैं, उनके लिए पारदर्शी व्यवस्था बनाना जिससे कि कोई भी पात्र बच्चा सुविधा से वंचित न रहे।

		या जैसी स्थिति हो, प्रारम्भिक शिक्षा पर खर्च हुई धनराशि हेतु प्रतिपूर्ति के पात्र नहीं होंगे।			
2-	9 (ख)	स्थानीय प्राधिकारी शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत निकटस्थ (पड़ोसी) विद्यालय की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा।	• यह जांच करना कि विद्यालयों की उपलब्धता उत्तराखण्ड शिक्षा का अधिकार नियमावली की धारा 6 के अनुसार निकटस्थ (पड़ोसी) विद्यालय के मानकों के अनुरूप है। • यदि किसी नए विद्यालय की स्थापना होनी हो तो यह सुनिश्चित कराना कि विद्यालय भवन के निर्माण हेतु समय पर धनराशि मुक्त हो तथा विद्यालय में अध्यापक भी उपलब्ध हों। • निचले स्तर के प्राधिकारियों हेतु शिक्षा अधिकार अधिनियम के बारे में संवेदीकरण की व्यवस्था कराना। • निकटस्थ (पड़ोसी) विद्यालयों की सुनिश्चितता के समय ब्लॉक, ग्राम एवं वार्ड स्तर के कार्यों एवं उतरदायित्वों का पर्यवेक्षण करना।	• यह जांच करना कि विद्यालयों की उपलब्धता उत्तराखण्ड शिक्षा का अधिकार नियमावली की धारा 6 के अनुसार निकटस्थ (पड़ोसी) विद्यालय के मानकों के अनुरूप है। • यदि किसी नए विद्यालय की स्थापना होनी हो तो यह सुनिश्चित कराना कि विद्यालय भवन के निर्माण हेतु समय पर धनराशि मुक्त हो तथा विद्यालय में अध्यापक भी उपलब्ध हों। • निकटस्थ (पड़ोसी) विद्यालयों की सुनिश्चितता के समय ब्लॉक, ग्राम एवं वार्ड स्तर के कार्यों एवं उत्तरदायित्वों का पर्यवेक्षण करना।	• शिक्षा का अधिकार अधिनियम के मानकानुसार के अनुसार यदि किसी क्षेत्र में प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय की आवश्यकता है तो उसकी मांग उचित स्तर तक करना। • नए प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय के निर्माण हेतु सुरक्षित भूमि उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना जो भू– स्खलन ,बाढ़, भूकम्प व वन भूमि से बाहर का क्षेत्र हो तथा विद्यालय प्रबंधन समिति को इस कार्य हेतु सहयोग प्रदान करना। • विद्यालय भवन का निर्माण बिना किसी व्यवधान के पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करना।

3-	9(ग)	स्थानीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि कमजोर वर्ग एवं अपवंचित समूह का कोई बच्चा अपनी प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने तक किसी भी प्रकार के भेद–भाव का शिकार न हो।	• यह सुनिश्चित कराना व पर्यवेक्षण करना कि विद्यालय में कमजोर वर्ग एवं अपवंचित समूह का कोई भी बच्चा जाति, धर्म या लिंग के आधार पर किसी भी भेद–भाव का शिकार न हो। • निचले स्तर के प्राधिकारियों का उक्त के सम्बम्ध में संवेदीकरण तथा अभिमुखीकरण करना।	• यह सुनिश्चित कराना व पर्यवेक्षण करना कि विद्यालय में कमजोर वर्ग एवं अपवंचित समूह का कोई भी बच्चा जाति, धर्म या लिंग के आधार पर किसी भी भेद–भाव का शिकार न हो। • निचले स्तर के प्राधिकारियों का उक्त के सम्बम्ध में संवेदीकरण तथा अभिमुखीकरण करना।	• सभी बच्चों विशेषतः कमजोर वर्ग एवं अपवंचित समूह के बच्चों की विद्यालय में नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना। • विद्यालय के अध्यापकों एवं विद्यालय प्रबंधन समिति के सहयोग से यह सुनिश्चित कराना कि कमजोर वर्ग एवं अपवंचित समूह के बच्चों को भी विद्यालय की सभी गतिविधियों में प्रतिभाग करने के समान अवसर प्राप्त हों।
4-	9(घ)	स्थानीय प्राधिकारी अपने सेवित क्षेत्र के 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के अभिलेख जैसा कि अधिनियम में उल्लिखित है, के अनुसार संधारित रखेंगे।	• यह अनुश्रवण करना कि प्रत्येक गांव, ब्लॉक, वार्ड स्तर पर 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के अभिलेख जैसा कि अधिनियम में उल्लिखित है, के अनुसार संधारित हैं। • यू–डायस सूचना को संकलित कराने में सहयोग प्रदान करना। • निकटस्थ (पड़ोसी) विद्यालयों की सूचना संकलन हेतु राज्य सरकार द्वारा विकसित सूचना प्रारूप का अनुप्रयोग सुनिश्चित कराना।	• यह अनुश्रवण करना कि प्रत्येक गांव, ब्लॉक, वार्ड स्तर पर 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के अभिलेख जैसा कि अधिनियम में उल्लिखित है, के अनुसार संधारित हैं। • यू–डायस सूचना को संकलित कराने में सहयोग प्रदान करना। • निकटस्थ (पड़ोसी) विद्यालयों की सूचना संकलन हेतु राज्य सरकार द्वारा विकसित सूचना प्रारूप का अनुप्रयोग सुनिश्चित कराना।	• स्थानीय निकाय (ग्राम पंचायत/नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत/छावनी परिषद) के अन्तर्गत प्रत्येक बच्चे के जन्म का अभिलेख संधारित रखना। • 0–3 वय वर्ग के सभी बच्चों के अभिलेख निर्धारित प्रारूप पर नाम, आयु, माता–पिता का नाम/व्यवसाय, पता, लिंग तथा आंगनवाड़ी केन्द्र/प्री–नर्सरी, जैसा भी हो, के अनुसार अभिलेख संधारित रखना। • 3–6 वय वर्ग के सभी बच्चों के अभिलेख निर्धारित प्रारूप पर नाम, आयु, माता–पिता का नाम/व्यवसाय, पता, लिंग तथा विद्यालय में नामांकन/शाला त्यागी/विद्यालय में प्रवेश से वंचित/विशिष्ट प्रशिक्षण, जैसा भी हो, के अनुसार अभिलेख संधारित रखना। • सेवित क्षेत्र में बाहर से आए प्रवासी बच्चों एवं क्षेत्र से बाहर गए बच्चों के, यदि हों तो उनके अभिलेख संधारित रखना। • निःशक्त बच्चों, एकल अभिभावक, अनाथ, एड्स पीड़ित आदि समूह के बच्चों का सम्पूर्ण विवरण संधारित रखना।
5-	9(ड.)	स्थानीय प्राधिकारी अपने सेवित क्षेत्र के 6–14 वय वर्ग के सभी बच्चों के प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करने तक उनके विद्यालय में नामांकन, उपस्थिति, ठहराव आदि का अनुश्रवण सुनिश्चित करेगा।	• विद्यालयों में बच्चों के नामांकन, उपस्थिति, ठहराव आदि का अनुश्रवण करना। • बच्चों के प्रवेश, उपस्थिति आदि प्रक्रिया का अनुश्रवण तथा यदि इस प्रक्रिया में ग्राम पंचायत/वार्ड समिति को किसी अवरोध का सामना करना पड़ रहा हो तो उस अवरोध को दूर	• विद्यालयों में बच्चों के नामांकन, उपस्थिति, ठहराव आदि का अनुश्रवण करना। • बच्चों के प्रवेश, उपस्थिति आदि प्रक्रिया का अनुश्रवण तथा यदि इस प्रक्रिया में ग्राम पंचायत/वार्ड समिति को किसी अवरोध का सामना करना पड़ रहा हो तो उस अवरोध को दूर	• यह सुनिश्चित करना कि कोई भी बच्चा विद्यालय में प्रवेश से वंचित न रह जाए। • यदि कोई बच्चा विद्यालय में अनियमित, अनुपस्थित, शाला त्यागी हो या नामांकन से वंचित रह गया हो तो समुदाय को अभिप्रेरित कर ऐसे बच्चों का विद्यालय में नामांकन, नियमित उपस्थिति, ठहराव आदि सुनिश्चित कराना। • विद्यालय में प्रत्येक बच्चे की अधिगम क्षमता में सुधार हेतु प्रगति का अनुश्रवण करना। • विद्यालय प्रबंधन समिति को सहयोग करना कि वे विद्यालयों में बच्चे की प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने तक नियमित रुप से नामांकन,

			करने में सहयोग प्रदान करना।	करने में सहयोग प्रदान करना।	नियमित उपस्थिति, ठहराव आदि का अनुश्रवण करते रहें। • विद्यालय प्रबंधन समिति को विद्यालय में पारदर्शिता, खुली प्रक्रिया एवं बिना भेद–भाव के साथ प्रवेश प्रक्रिया हेतु सहयोग प्रदान करना। • बालिकाओं, कमजोर वर्ग एवं अपवंचित समूह के बच्चों के अभिभावक को इस बात के लिए प्रेरित करना कि वे अपने बच्चों को विद्यालय में अनिवार्य रूप से प्रवेश दिलाएं। • अवरोध जैसे शिक्षकों का अभाव, दैवीय आपदा का प्रभाव, अन्य संसाधानों की कमी आदि जिनसे विद्यालय में नामांकन व उपस्थिति पर कुप्रभाव पड़ता है, को दूर करने प्रयास करना तथा यदि समस्या बड़ी हो तो उसे उच्च स्तर पर निराकरण हेतु भेजना।
6-	9(च)	स्थानीय प्राधिकारी अपने सेवित क्षेत्र के विद्यालयों में सभी आवश्यक संसाधन जैसे भवन, अध्यापक, तथा पाठ्य सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा।	• विद्यालयों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार भवन, पाठ्य सामग्री एवं छात्र–अध्यापक अनुपात का अनुपालन हो रहा हो। यदि इसमें कोई कमी हो तो स्वयं के संसाधानों से तात्कालिक या तदर्थ व्यवस्था कराना।	• विद्यालयों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार भवन, पाठ्य सामग्री एवं छात्र–अध्यापक अनुपात का अनुपालन हो रहा हो। यदि इसमें कोई कमी हो तो स्वयं के संसाधानों से तात्कालिक या तदर्थ व्यवस्था कराना।	• विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा प्राप्त की गई धनराशि का अनुश्रवण करना, जिससे कि निर्माण सम्बन्धी कार्य गुणवत्ता के साथ समय पर पूर्ण हो सकें तथा अन्य संसाधनों हेतु उपलब्ध कराई गई धनराशि का सदुपयोग हो सके। • यदि विद्यालय में मानकानुसार अध्यापकों का अभाव हो या विद्यालय में अध्यापकों द्वारा अपने कार्यों का निष्पादन सही ढंग से न किये जाने पर या उनकी उपस्थिति नियमित न हो, तो ऐसे प्रकरणों को उच्च प्राधिकारी के समक्ष रखना। • छात्र–अध्यापक अनुपात की पूर्ति से सम्बन्धित मुद्दे उठाना।
7-	9(छ)	स्थानीय प्राधिकारी अपने सेवित क्षेत्र के विद्यालयों में विशिष्ट प्रशिक्षण की व्यवस्था /उपलब्धता सुनिश्चित करेगा।	• जनपद के अन्तर्गत हो रहे विशिष्ट प्रशिक्षण की जानकारी एवं उसका अनुश्रवण सुनिश्चित करना।	• विकासखण्ड एवं तहसील के अन्तर्गत हो रहे विशिष्ट प्रशिक्षण की जानकारी एवं उसका अनुश्रवण • सुनिश्चित करना।	• विद्यालय से बाहर रह गये (Out of School) बच्चों के अभिलेख संधारित करना। • विद्यालय प्रबंधन समिति के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करना कि विद्यालय से बाहर रह गये (Out of School) सभी बच्चों का विद्यालय मे

	9(ट)	स्थानीय प्राधिकारी अपने सेवित क्षेत्र के विद्यालयों में प्रवासी परिवारों के बच्चों के प्रवेश की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।			• नामांकन हो गया है तथा वे नियमित कक्षा के अनुरुप अधिगम कर रहे हैं। • यह सुनिश्चित कराना कि, जहां तक सम्भव हो विशिष्ट प्रशिक्षण की व्यवस्था विद्यालय में उपलब्ध हो। यदि यह सम्भव नहीं हो तो विद्यालय प्रबंधन समिति तथा विद्यालय को सहयोग कर किसी सुरक्षित एवं निकटतम स्थान पर प्रशिक्षण की व्यवस्था कराना। • समुदाय को इस बात के लिए अभिप्रेरित करना कि वे विद्यालय से बाहर रह गये (Out of School) सभी बच्चों को प्रशिक्षण हेतु नियमित रुप से विशिष्ट प्रशिक्षण स्थल पर भेजें। • ऐसे सभी बच्चों के अभिलेख संधारित रखना जो गांव/वार्ड से बाहर चले गए हैं या अन्दर आए हैं। • ऐसे सभी बच्चों को विशिष्ट प्रशिक्षण हेतु सहयोग प्रदान करना। • ग्राम/वार्ड के समुदाय को इस बात के लिए अभिप्रेरित करना कि वे ऐसे बच्चों की शिक्षा का ध्यान रख जिनके अभिभावक अन्यत्र प्रवास के दौरान उन्हें छोड़ गए हों।
8-	9(ज)	स्थानीय प्राधिकारी अपने सेवित क्षेत्र के विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण प्रारम्भिक शिक्षा जो, अधिनियम की अनुसूची में उल्लेखित मानदण्डों के अनुरुप हो की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।	• अध्यापकों की छात्र–अध्यापक अनुपात के अनुसार व्यवस्था सुनिश्चित कराना। • विद्यालयों में स्वीकृत ढाँचागत संरचनाओं के समयान्तर्गत पूर्ण किये जाने एवं प्रगति का अनुश्रवण करना।	• अध्यापकों की छात्र–अध्यापक अनुपात के अनुसार व्यवस्था सुनिश्चित कराना। • विद्यालयों में स्वीकृत ढाँचागत संरचनाओं के समयान्तर्गत पूर्ण किये जाने एवं प्रगति का अनुश्रवण करना।	• विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति का अनुश्रवण तथा विद्यालय से बाहर रह गये (Out of School) बच्चों के नामंकन/विशिष्ट प्रशिक्षण हेतु सहयोग प्रदान करना। • प्रवासी बच्चों का विद्यालय में सत्र के दौरान किसी भी समय प्रवेश की व्यवस्था सुनिश्चित कराना। • समुदाय को इस बात के लिए अभिप्रेरित करना कि वे नियमित रुप से बच्चों को विद्यालय में भेजें।
9-	9(झ)	स्थानीय प्राधिकारी अपने सेवित क्षेत्र के विद्यालयों में प्रारम्भिक शिक्षा हेतु समयान्तर्गत पाठ्चर्या को पूर्ण तथा मुद्रित करने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।	• समयान्तर्गत पाठ्य पुस्तकें तथा शिक्षण अधिगम सामग्री की व्यवस्था सुनिश्चित कराना।	• समयान्तर्गत पाठ्य पुस्तकें तथा शिक्षण अधिगम सामग्री की व्यवस्था सुनिश्चित कराना।	• विद्यालयों के कार्यों, कार्य दिवसों/कार्य करने के घण्टों का अनुश्रवण तथा किसी विवाद की स्थिति में कर्मचारी के नियंत्रक अधिकारी के समक्ष शिकायत दर्ज कराना। • समुदाय को इस बात के लिए अभिप्रेरित करना कि वे बच्चों की नियमित उपस्थिति तथा अभिभावक/समुदाय एवं बच्चों की प्रगति का ब्यौरा आपस में साझा करें।

10-	9(¥)	स्थानीय प्राधिकारी अपने सेवित क्षेत्र के विद्यालयों में अध्यापक प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।	• जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान तथा ब्लॉक संसाधन केन्द्र के सहयोग से प्रशिक्षण पंचाग तैयार कराना। • यदि किसी विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है तो अध्यापकों का प्रशिक्षण संस्थानों से सम्पर्क स्थापित करना। • नवनियुक्त अध्यापक प्रशिक्षण हेतु भौतिक संरचनाएं उपलब्ध कराना। • सेवारत शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों के विषय में समुदाय की धारणाएं ,विचार या आवश्यकताओं की जानकारी ब्लाक संसाधन केन्द्रों को उपलब्ध कराना।	• यदि किसी विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है तो अध्यापकों का प्रशिक्षण संस्थानों से सम्पर्क स्थापित करना। • नवनियुक्त अध्यापक प्रशिक्षण हेतु भौतिक संरचनाएं उपलब्ध कराना। • सेवारत शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों के विषय में समुदाय की धारणाएं, विचार या आवश्यकताओं की जानकारी ब्लाक संसाधन केन्द्रों को उपलब्ध कराना।	&
11-	9(ठ)	स्थानीय प्राधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र के विद्यालयों के कार्यों का अनुश्रवण करेंगे।	• गांव/वार्ड/ब्लॉक स्तर से प्राप्त शिकायतों का निस्तारण सुनिश्चित करना।	• गांव/वार्ड/ब्लॉक स्तर से प्राप्त शिकायतों का निस्तारण सुनिश्चित करना।	• विद्यालय के भवन के रख–रखाव तथा विद्यालय परिसर का प्रयोग केवल विद्यालय के प्रयोजनार्थ हो रहा है का अनुश्रवण करना। • अध्यापकों की उपस्थिति सुनिश्चित कराना। • यदि गांव/वार्ड किन्ही बिंदुओं पर असंतुष्ट हो तो खण्ड शिक्षाधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी, बेसिक/जनपदीय प्राधिकारी के समक्ष उस बात को रखना। • ऐसे विद्यालय जिनका कार्य सन्तोषजनक नहीं है उनके प्रधानाध्यापक, विद्यालय प्रबन्धन समिति के सदस्यों से बातचीत एवं समुदाय का दबाव बनाकर विद्यालय में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों को लागू कराना। • विद्यालय प्रबन्धन समिति द्वारा निर्मित विद्यालय विकास नियोजन का अनुश्रवण एवं सत्यापन करना। • अधिगम स्तर में सुधार की नियमित जांच करना।
12-	9(ड़)	स्थानीय प्राधिकारी अपने सेवित क्षेत्र के विद्यालयों में अकादमिक पंचाग की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।	• जनपद की आवश्यकता के अनुसार समुदाय की आर्थिकी, व्यवसाय, स्थानीय त्यौहार, मेलों आदि को ध्यान में रखकर एकेडेमिक कैलेन्डर सुनिश्चित कराना।	&	&